अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

अनुसंधान अनुभाग

फोन- +91-11-26593273,26593554 ई-मेल: researchsectionaiims@gmail.com

संख्या.अनु./लेखा/2019-20 दिनांक: 10.01.2020

परिपत्र

विषय: अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रधान अन्वेषकों को नगद अग्रिम के स्थान पर प्रीपेड कार्ड (भा.स्टे.बैंक का ई जेड-पे कार्ड) जारी करने संबंधी।

अनुसंधान परियोजनाओं हेतु प्रधान अन्वेषकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता होती है। नगद लेन-देन तथा निजी बैंक खातों में प्रतिपूर्ति से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने प्रीपेड कार्ड (ई जेड-पे कार्ड) जारी करने की पेशकश की है। यह वीज़ा इंटरनेशनल के सहयोग से जारी किए जाने वाला एक प्रीपेड कार्ड (भारतीय रुपयों में जारी) है तथा भुगतान करने के लिए एक उपयुक्त उत्पाद है।

I. **काई की मुख्य विशेषताएं**

(क) स्टेट बैंक ई जेड-पे कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको भा.स्टे.बैंक खाताधारक होना आवश्यक नहीं है।

(ख) भा.स्टे.बैंक ई जेड-पे कार्ड को स्टेट बैंक के सभी ए.टी.एम., व्यापारिक प्रतिष्ठानों, तथा इंटरनेट पर ई-कॉमर्स लेन-देन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) इसे नगद आहरण अथवा भुगतान करने के लिए ए.टी.एम. कार्ड अथवा डेबिट कार्ड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) स्टेट बैंक ए.टी.एम. अथवा इंटरनेट के माध्यम से शेष जमा राशि की जानकारी नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है।

(ङ) किसी भी समय कार्ड में टॉप अप की जाने वाली अधिकतम राशि की सीमा 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) है।

(च) प्रत्येक प्रधान अन्वेषक को एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे उनकी कितनी भी अनुसंधान परियोजनाओं से लिंक किया जा सकता है। वे किसी भी समय बहु-परियोजनाओं से एक लाख रुपये राशि की अधिकतम सीमा तक के टॉप अप के लिए अनुरोध कर सकते/सकती हैं।

(छ) यह जारी होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

(ज) ए.टी.एम. से नगद आहरण की सीमा प्रतिदिन 20,000/- रुपये तक है। (समय-समय पर बैंक नीति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है।)

(झ) पी.ओ.एस. लेन-देन और ई-कॉमर्स की सीमा, कार्ड में उपलब्ध राशि जितनी है।

(ञ) कार्ड की विशेषताएं विस्तार से भा.स्टे.बैंक के वेबसाइट लिंक https://www.sbi.co.in/portal/web/personal-banking/state-bank-ez-pay-card पर भी दी गई हैं।

II. <u>कार्ड का टॉप-अप</u>

(क) प्रधान अन्वेषकों/सह-प्रधान अन्वेषकों को अपनी परियोजनाओं में निधियों की उपलब्धता के आधार पर संबंधित परियोजना से अग्रिम भुगतान के लिए एक आवेदन जमा करना होगा (वर्तमान में पालन की जा रही प्रक्रिया के समान)

(ख) सह-संकायाध्यक्ष (अनुसंधान)/संकायाध्यक्ष(अनुसंधान) से अग्रिम की मंजूरी के पश्चात् अनुसंधान अनुभाग द्वारा अग्रिम राशि को प्रीपेड कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.) के द्वारा टॉप अप किया जाएगा।

(ग) कार्ड के टॉप अप के लिए प्रधान अन्वेषकों को बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) कार्ड में अग्रिम राशि के टॉप अप के बाद, प्रधान अन्वेषक/सह-प्रधान अन्वेषक कार्ड को उपर्युक्तानुसार प्रयोग कर सकते हैं।

III. <u>अग्रिम का समायोजन</u>

(क) अग्रिम राशि का समायोजन ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार वर्तमान में होता है। अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी [अर्थात सह-संकायाध्यक्ष (अनुसंधान अनुभाग) अथवा संकायाध्यक्ष (अनुसंधान अनुभाग)] से मंजूरी के लिए अनुसंधान अनुभाग के पास संगत दस्तावेजों के साथ मूल बिलों/इनवॉइस को जमा करना होगा।

(ख) प्रत्येक प्रधान अन्वेषक को एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे उनकी कितनी भी अनुसंधान परियोजनाओं से लिंक किया जा सकता है। वे किसी भी समय बहु-परियोजनाओं के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक के टॉप अप का अनुरोध कर सकते/सकती हैं। यद्यपि, प्रत्येक परियोजना हेतु अनुरोध की गई अग्रिम राशि का समायोजन, अनुसंधान अनुभाग की अग्रिम संख्या का उल्लेख करते हुए अलग-अलग (अर्थात प्रत्येक परियोजना अग्रिम के लिए बिलों को अलग से जमा करना होगा) किया जाएगा।

(ग) यदि किसी प्रधान अन्वेषक को एक लाख रुपये से अधिक की अग्रिम राशि की आवश्यकता है तो उनसे अनुरोध है कि वे उसी प्रक्रिया का पालन करें जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है (अर्थात् व्यक्तिगत खाते में जमा करना/प्रधान अन्वेषक द्वारा दिए गए खाता विवरण के अनुसार)। यद्यपि समय पर अग्रिम के समायोजन की जिम्मेदारी प्रधान अन्वेषक की होगी।

(घ) कार्ड, उसके इस्तेमाल, गुम होने इत्यादि की जिम्मेदारी प्रधान अन्वेषक की होगी। अत: प्रधान अन्वेषकगण से अनुरोध है कि परियोजना से जुड़े कर्मचारियों के साथ पिन साझा करते समय सावधानी बरतें।

IV. **<u>ईजेड-पे कार्ड में डाली गई अग्रिम राशि पर आयकर</u>**

प्रीपेड कार्ड एक अलग कार्ड है और यह प्रधान अन्वेषकगण के बचत खाते से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि कार्ड में डाली गई राशि का उपयोग प्रामाणिक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और यह प्रधान अन्वेषकों/सह-प्रधान अन्वेषकों की आय नहीं होगी इसलिए इसमें टॉप अप की गई राशि पर किसी भी प्रकार का आयकर देय नहीं होगा।

V. **काई का क्षतिग्रस्त/गुम होना**

कार्ड गुम होने/क्षतिग्रस्त होने पर प्रयोक्ता निर्देश पुस्तिका में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस कार्ड को बन्द करने हेतु भा.स्टे.बैंक को शीघ्र सूचित करें तथा बदले में दूसरा कार्ड जारी करने के लिए एक प्रति लेखा अधिकारी(अनुसंधान) को भेजें। प्रयोक्ता निर्देश पुस्तिका, कार्ड के साथ दी जाएगी।

VI. **अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवा निवृति/सह-प्रधान अन्वेषक को परियोजना हस्तांतरण पर काई की सुपुर्दगी**

अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति होने पर, बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु कार्ड को अनुसंधान अनुभाग को वापिस करना होगा। यदि प्रधान अन्वेषक किसी कारणवश परियोजना को सह-प्रधान अन्वेषक को हस्तांतरित करता/करती है (जैसे, अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/दीर्घकालिक अवधि के लिए देश के बाहर जाना इत्यादि), तो कार्ड को अनुसंधान अनुभाग में वापस लौटाना पड़ेगा तथा सह-प्रधान अन्वेषक के इच्छुक होने पर, उन्हें एक अलग कार्ड जारी किया जा सकता है।

अतः सभी प्रधान अन्वेषकों से अनुरोध किया जाता है कि वे 31 जनवरी 2020 तक संलग्न फार्म के अनुसार के.वाई.सी. विवरण सहित लेखा अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली के पास इस कार्ड के लिए आवेदन कर दें। कृपया ध्यान दें कि 01.04.2020 से नगद राशि के रूप में अग्रिम नहीं दिया जाएगा तथा सभी लेन-देन केवल इलैक्ट्रानिक माध्यम से ही होंगे।

इसे माननीय निदेशक महोदय (एम्स) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

10/1/2020

(भरित भूषण)

लेखा अधिकारी(अनुसंधान)

011-26593273

संलग्नक: प्रीपेड कार्ड का आवेदन पत्र

प्रतिलिपि:

- **निदेशक महोदय, अ.भा.आ.सं. के निजी सचिव**
- **उप-निदेशक (प्रशा.), अ.भा.आ.सं. के निजी सचिव**
- **वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव**
- **समस्त संकाय सदस्यगण**
- **समस्त वैज्ञानिकगण**
- **केंद्रों के विभागाध्यक्ष/प्रमुख**
- **प्रशासनिक अधिकारी(अनुसंधान)**
- **भण्डार अधिकारी(अनुसंधान)**
- **प्रभारी, कम्प्यूटर सुविधा: इस परिपत्र को एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।**

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
16 JAN 2020

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

(अनुसंधान अनुभाग)

फोन- +91-11-26593273, 26593554 ई-मेल: **researchsectionaiims@gmail.com**

<u>प्रीपेड कार्ड (ईजेड पे कार्ड) हेतु आवेदन पत्र</u>

1.	नाम: श्री/श्रीमती/सुश्री (जो लागू न हो उसे काट दें)	
2.	पता (पिन कोड सहित)	
3.	जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
4.	पिता/पति का नाम (जो लागू न हो उसे काट दें)	
5.	माता का नाम	
6.	मोबाईल नम्बर	
7.	ईमेल आईडी (कृपया साफ शब्दों में लिखें)	
8.	भा.स्टे.बैंक खाता संख्या (वैकल्पिक)	
9.	आधार संख्या (कृपया स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
10.	पी ए एन (कृपया स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
11.	निम्न में से कोई एक दस्तावेज: • मतदाता पहचान पत्र • ड्राईविंग लाइसेंस • पासपोर्ट (कृपया स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
12.	कर्मचारी पहचान पत्र संख्या	

(प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर)

मुहर सहित

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

अनुसंधान अनुभाग के प्रयोग हेतु (लेखा स्कंध)

यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त आवेदक के नाम पर तत्काल प्रीपेड कार्ड(ईजेड पे कार्ड) जारी करें।

लेखा अधिकारी(अनुसंधान)

011-26593273

दिनांक: ....

सहायक महाप्रबंधक

भा.स्टे.बैंक, अंसारी नगर, दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi – 110029
(अनुसंधान अनुभाग / RESEARCH SECTION)
Ph. + 91 11 26593273, 26593554 Email : researchsectionaiims@gmail.com

Application form for Prepaid Card (eZ Pay Card)

1.	Name : Sh. / Smt. / Ms. (pls strike out which is not applicable)	
2.	Address (with PIN Code)	
3.	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
4.	Father's / Husband's Name (pls strike out which is not applicable)	
5.	Mother's Name	
6.	Mobile No.	
7.	Email ID (pls write clearly)	
8.	SBI Account No. (optional)	
9.	AADHAR No. (Pls enclose self attested copy)	
10.	PAN (Pls enclose self attested copy)	
11.	Any one of the following documents : • Voters ID Card • Driving Licence • Passport (Pls enclose self attested copy)	
12.	Employee ID	

(Signature of the PI)
With seal

Date:
Place: New Delhi.

For use by Research Section (Accounts Wing)

It is requested to issue the Prepaid Card (eZ Pay Card) in the name of above applicant urgently.

Accounts Officer (Research)
011-26593273
Dated: ___________

The AGM,
SBI Ansari Nagar, Delhi

10/1/2020

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi – 110029
(अनुसंधान अनुभाग / RESEARCH SECTION)
Ph. + 91 11 26593273, 26593554 Email : researchsectionaiims@gmail.com

संख्या/No. Res./Acctts./2019-20 दिनांक / Dated: 10.01.2020

Circular

Subject: Issue of Prepaid card (eZ-Pay Card of SBI) to PIs for Research Projects in lieu of Cash Advance

For Research Projects, PIs need advance money for various purposes. In order to avoid cash transactions and reimbursements in personal bank accounts, the State Bank of India has offered to issue prepaid cards (eZ-Pay Card). It is a prepaid card (issued in Indian Rupees) in association with VISA International and is an ideal product for making payments.

I. Salient features of the card

(a) One need not be SBI account holder for getting State Bank eZ-Pay Card.
(b) The SBI eZ-Pay Card is usable at all State Bank ATMs, at Merchant Establishments and over Internet for e-Commerce transactions.
(c) This can be used as ATM card or as a Debit Card to withdraw cash or for making payments.
(d) Balance enquiry can be made free of charge either through State Bank ATMs or through Internet.
(e) The maximum top up in a card at any point of time is Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only)
(f) Every PI will be issued one card which canbe linked to any number of his/her Research Projects. He/she can request for topping from multiple projects upto a maximum limit of Rs. One Lakh at any time.
(g) It is valid for 10 years from the date of issue.
(h) The Cash withdrawal limit from ATM is upto Rs. 20,000/- per day (subject to change as per bank policy from time to time).
(i) POS transaction and e-commerce limit is upto the balance available in the card.
(j) The detailed features of the card are also available at SBI website link https://www.sbi.co.in/portal/web/personal-banking/state-bank-ez-pay-card.

II. Top up of the Card

(a) The PIs/Co-PIs need to submit a request for advance payment from the respective project subject to availability of funds in their project (similar to the procedure being followed now).
(b) After sanction of the advance from Associate Dean (Research)/Dean (Research), the amount of advance will be topped up by the Research Section into the prepaid card through electronic mode (NEFT/RTGS).
(c) The PIs need not to visit the bank branch for top up of the cards.
(d) After top up of the advance amount in the card, the PIs/Co-PIs can use the card as mentioned above.

III. Adjustment of the Advance

(a) The adjustment of advance will be done in the same manner as it is done now. That is, the original bills/invoices are to be submitted to the Research Section alongwith other relevant documents for sanction by the Competent Authority [i.e. Associate Dean (RS) or the Dean (RS)]